

**सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय**

पत्रकार कोलोनी लिंक रोड- 462016

ई-मेल [dir.socialjustice@mp.gov.in](mailto:dir.socialjustice@mp.gov.in)

क्र./VC /2025/I/693777/2025

दिनांक 24-12-2025

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक  
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,  
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश

**विषय:-** दिनांक 10/12/2025 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक **10/12/2025** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

---0--

1. पेंशन पोर्टल पर आधार e-KYC हेतु शेष पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की समीक्षा ।
  - दिनांक 09/09/205 को संचालनालय से जारी पत्र में जिन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड किया गया है, उनका सत्यापन 30/11/2025 तक करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु दिनांक 26/11/2025 की स्थिति में 2,93,730 होल्ड पेंशन प्रकरणों में से केवल 194347 प्रकरणों के भौतिक सत्यापन की स्थिति को पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया गया है, जो कि केवल 66.17% है।
  - जिला यथा UJJAIN, MAUGANJ, SAGAR, GWALIOR, SINGROULI, DAMOH, MANDSAUR & DINDORI में 50 प्रतिशत से भी कम भौतिक सत्यापन किया गया है।
  - निम्न 15 निकायों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य 30% से भी कम किया गया है, 31/12/2025 तक कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी :-

S. N.	District Name	LB Name	SSO Name	No. of Hold Cases	Total Verified	% of Verification
{1}	{2}	{3}	{4}	{6}	{8}	{9}
1	SINGROULI	NN, SINGROULI	ILA SAHU	651	65	9.98
2	REWA	JP, REWA	AMRITA KAMAL	1337	137	10.25
3	SAGAR	NN, SAGAR	ABHISHEK SAHU	2804	400	14.27
4	AGAR MALWA	JP, AGAR	SUSHMA BHIDORIYA	745	111	14.90
5	BETUL	JP, BETUL	HARSH KUMAR NAGLE	536	89	16.60
6	BHOPAL	JP, BERASIA	SACHIN GOUR	2537	456	17.97
7	DAMOH	JP, HATTA	VEERPAL CHOUDHARY	768	140	18.23

8	SINGROULI	JP, DEOSAR	RAJENDRA PRASAD DWIVEDI	1633	304	18.62
9	BETUL	NP, MULTAI	ATUL SHARMA	20	4	20.00
10	REWA	NN, REWA	PRAGYA BHARTI TIWARI	1867	375	20.09
11	NARMADAPURAM	JP, BANKHEDI	SATISH CHANDRA GAUTAM	74	15	20.27
12	RAISEN	JP, SANCHI	RUCHI TIWARI	657	138	21.00
13	MANDLA	JP, NIWAS	KAMINI PARTE	272	60	22.06
14	DAMOH	NP, DAMOH	NITIN KUMAR PATEL	2152	485	22.54
15	NARSINGHPUR	JP, CHAWARPATHA	MAYANK KUMAR PRADHAN	1044	272	26.05

- समस्त जिलों को 31/12/2025 तक शत-प्रतिशत सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया। DeGM / AeGM के स्थान पर जहां आवश्यक है वहां सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों / पदाभिहित अधिकारियों से भी आधार ई-केवायसी नहीं होने की पुष्टि कराई जाये एवं पंचनामा पोर्टल पर अपडेट
  - समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की मैपिंग जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों से सुनिश्चित की जाये। यदि कोई अधिकारी अधिक समय के लिये अवकाश पर है तो उनके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की मैपिंग की जाये। उक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संबंधित निकाय में समन्वय कर विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
  - पेंशन, विवाह एवं संपर्क पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में संचालनालय से जारी पत्र क्रं. IT/772614/I/551390/2025 दिनांक 15/10/2025 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. प्रदेश में संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र DDAC, IRCA, ODIC एवं CPLI के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव वर्ष-2025-26 अप्राप्त रहना तथा प्राप्त प्रस्तावों में पाई गई कमियों की पूर्ति कर शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
  3. प्रदेश में संचालित समस्त नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों का निरीक्षण किये जाने के संबंध में संबंध में निर्देशित किया गया।
  4. SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन स्कीम के तहत यूजर नेम, मेकर एवं चैकर बनाये जाने हेतु जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
  5. प्रदेश के समस्त छात्रावासों में छात्रावास नशामुक्ति समितियों का गठन एवं समस्त छात्रावासों को नशामुक्त परिसर घोषित कराये जाने की कार्यवाही के संबंध में संबंध में निर्देशित किया गया।
  6. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालको द्वारा डीडीआरसी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा डीडीआरसी एवं डीडीआरएस के केन्द्रीय अनुदान के प्रस्ताव संबंध में निर्देशित किया गया।
  7. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों संबंध में निम्न निर्देश दिए गए।
    - सर्वप्रथम मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित निम्नानुसार लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई एवं शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। विशेषकर ग्वालियर एवं जबलपुर जिले में अधिक प्रकरण लंबित पाये गये हैं। उक्त जिलों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र.	जिला	शि.क्र.	दिनांक	शिकायतकर्ता	लंबित दिवस
1	कटनी	35713099	7-Dec-25	गोविन्द	3
2	कटनी	35725420	8-Dec-25	अमित	2
3	ग्वालियर	33294474	10-Jul-25	नरेश कुमार	153
4	ग्वालियर	32915748	19-Jun-25	सम्भव शर्मा	174
5	ग्वालियर	34589560	24-Sep-25	देवेन्द्र	77
6	जबलपुर	35512592	24-Nov-25	पवन	16
7	जबलपुर	35733231	8-Dec-25	प्रियांश	2
8	जबलपुर	35733217	8-Dec-25	सत्यकान्त	2
9	जबलपुर	35734881	9-Dec-25	महावीर	1
10	जबलपुर	35712767	7-Dec-25	विवेक	3
11	जबलपुर	35722320	8-Dec-25	चांदपाल	2
12	जबलपुर	35727190	8-Dec-25	राजू	2
13	धार	35470586	22-Nov-25	गिरधारी	18
14	नरसिंहपुर	35713229	7-Dec-25	शाहजन खान जी	3
15	भोपाल	35605549	30-Nov-25	दीपक	10
16	मण्डला	35717855	7-Dec-25	आदित्य कुमार	3
17	रायसेन	35737783	9-Dec-25	प्रकाश	1
18	सिवनी	35733334	8-Dec-25	जितेन्द्र	2

- ततपश्चात निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह/निकाह योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई एवं निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रायः समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में उक्त योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। अतः गंभीरता से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।
  - मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग अंतर्गत अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की जाकर तत्काल निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।
8. कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर से प्राप्त पत्र के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 1078-79 दिनांक 25/11/2024 द्वारा विभाग के समस्त जिला कार्यालयों को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने हेतु लेख किया गया है उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1169-70 दिनांक 12/12/2024, क्रमांक 53-54 दिनांक 10/01/2025, क्रमांक 386-87 दिनांक 03/07/2025 एवं पत्र क्रमांक 522-23 दिनांक 17/07/2025 भी जारी किये गये हैं। अतः जिला छतरपुर, सिवनी, रतलाम, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर एवं उज्जैन को छोड़कर शेष जिलों को जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
9. कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जारी कार्यालय संयुक्त संचालक जिला ग्वालियर की inspection report के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 1538 दिनांक 22/08/2025 द्वारा पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु लेख किया गया था किन्तु संबंधित संयुक्त संचालक जिला ग्वालियर द्वारा संतोषजनक पालन प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने के कारण संचालनालय के पत्र क्रमांक

459 दिनांक 03/09/2025 द्वारा पुनः लेख किया गया है। अतः जिला ग्वालियर को पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

10. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा/पालन हेतु निर्देशित किया गया
11. जिला ग्वालियर में निराश्रित बच्चों के लिए आईटीआई होस्टल के निर्माण सम्बन्ध में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
12. जिला भोपाल में मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत हितग्राहियों को किए गए अनियमित भुगतान के जांच प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध करनी हेतु निर्देशित किया गया।
13. दिनांक **24, 25 एवं 26 जनवरी, 2026** को प्रस्तावित मेला के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
14. जे.जे.सी . द्वारा विशेष विद्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धी पालन प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(रमेश कुमार सिंह )

कार्यलय प्रमुख

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन

सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.

क्र./VC /2025/I/693777/2025

दिनांक 24-12-2025

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश - सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सूचनार्थ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय - सूचनार्थ।
5. समस्त जिला समन्वयक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी - सूचनार्थ।
6. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक - सूचनार्थ।
7. समस्त समग्र संयोजक सूचनार्थ।

कार्यलय प्रमुख

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन

सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.